न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई०ए०एस०

राजस्व अपील सं. 50/2023

अपीलांट–	*बनाम*	रेस्पोडेंट्स –
पेमाराम पुत्र श्री टिकमाराम जाति जाट, निवासी साजियाली मूलराज द्वितीय तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।		1 रामाराम पुत्र अचलाराम 2 तजाराम पुत्र अचलाराम 3 नरणाराम पुत्र अचलाराम 4 ईमरती पत्नी अचलाराम 5 चौथाराम पुत्र गोकलाराम 6 चैनाराम पुत्र गोकलाराम 7 देवाराम पुत्र गोकलाराम 8 रावताराम पुत्र गिरधारीराम 9 खेताराम पुत्र भैराराम के कायम मुकाम 9/1 आसी पत्नी खेतराम 9/2 जोगाराम पुत्र खेताराम 10 कैसाराम पुत्र कुंभाराम 11 गोरधनराम पुत्र कुंभाराम 12 तीजां पत्नी कुंभाराम जातियान जाट, निवासीयान साजियाली मूलराज द्वितीय, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा। 13 सरपंच ग्राम पंचायत रूपजी राजाबोरी 14 शाखा प्रबंधक एस बी आई बैंक पचपदरा 15 तहसीलदार पचपदरा।

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश क्रमांक राजस्व/94–95 दिनांक 26.08.2004 जो तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री रूघाराम कड़वासरा, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री सुरेन्द्र सिंह राठोड़, अधिवक्ता उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 28.02.2024

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत तहसीलदार पचपदरा के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक राजस्व/94–95, दिनांक 26.08.2004 के विरूद्ध पेश की गई है।
2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा ग्राम साजियाली मूलराज द्वितीय, पटवार क्षेत्र कालेवा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पाटोदी, तहसील पचपदरा के खसरा नम्बर 119, 121, 122, 134, 135, 222 समस्त खसरान रकबा 292 बीघा 12 बिस्वा के सहखातेदारान रामाराम, ताजाराम, नारणाराम पि.

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा

अचला, इमरती बेवा अचला, देवा, चौथा, चैना पि. गोकला, खेता वल्द भैरा, पेमाराम पुत्र टीकमाराम, गिरधारी पुत्र फुसाराम, सेसा, गोरधन पि. कुम्भा, पेंपो बेवा कुम्भा कौम जाट सा0 देहने ने तहसीलदार पचपदरा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान सरपंच ग्राम पंचायत कालेवा द्वारा की गई। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहकाश्तकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। भूमि सहखातेदारों की पैतृक हैं। इस पर तहसीलदार पचपदरा द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक राजस्व/94–95, दिनांक 26.08.2004 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.03.2023 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया मौजा साजियाली मूलराज द्वितीय, पटवार क्षैत्र कालेवा, भू– अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पाटोदी, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा के खेत खसरा नम्बर 119, 121, 122, 134, 135, 222 भूमि अवस्थित है। अपीलांट व उतरदाता संख्या 01 से 12 का अपने–अपने हक हिस्सेवार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट व उतरदाता संख्या 01 से 12 की संयुक्त खातेदारी भूमि का बंटवाड़ा तहसीलदार पचपदरा के आदेश क्रमांक राजस्व/94–95 दिनांक 26.08.2004 को पारित हुआ और आदेश अनुसार विवादित भूमि का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हुआ। तहसीलदार पचपदरा द्वारा बंटवाड़ा आदेश मौके पर कब्जा–काश्त के विपरीत पारित किया गया। जिसके कारण पक्षकारान को अपूरणीय क्षति हो रही है। अतः तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित आदेश क्रमांक राजस्व/94–95 दिनांक 26.08.2004 को निरस्त फरमावे।

5. अधिवक्ता अपीलांटस ने यह भी निवेदन किया कि उक्त खसरान भूमि की वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में ऑनलाइन तरमीम की गई एवं ऑनलाइन तरमीम करने पर मौके पर अपीलांट व रेसपोडेंट के आपस में विवाद पैदा हो गया तब राजस्व रेकर्ड की हल्का पटवारी से दिनांक 16.01.2023 को नकले प्राप्त की। जिस पर प्रथम दृष्टया जानकारी हुई कि पूर्व में किया गया राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा मौके पर काबिज अनुसार दर्ज नहीं हुआ हैं, जिससे मौके पर खातेदारों के आपस में भारी विवाद हो गया है, इस हेतु विधि विरूद्ध आदेश दिनांक 26.08.2004 आदेश के विरूद्ध अपील श्रीमान के समक्ष पेश है।

6. अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 12 ने लिखित राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन भूमि में सभी सहखातेदार आपसी सहमति से किये

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बालोतरा

विभाजन अनुसार कब्जा–काश्त हैं तथा मौके पर पक्षकारान की पृथक–पृथक आवासीय ढ़ाणियां बनी हुई हैं। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सही आधारों पर प्रस्तुत की गई है तथा मौके पर पक्षकारान जिस प्रकार काबिज हैं उस अनुसार उनका विभाजन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स की यह अपील स्वीकार करते हुए मौके पर भूमि का सही रूप से विभाजन किये जाने हेतु सहमत है।

7. हमने उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया, जिसमें पाया कि मौजा साजियाली गूलराज द्वितीय, पटवार क्षैत्र कालेवा, भू– अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पाटोदी, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा के खेत खसरा नम्बर 119, 121, 122, 134, 135, 222 भूमि का बंटवाड़ा आदेश क्रमांक राजस्व/94–95 दिनांक 26.08.2004 तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित किया गया और उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण दिनांक 27.09.2004 इन्द्राज हुआ और उक्त इन्द्राज के आधार पर राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) में मूल खसरों के नए खसरे बट्टे नम्बर बने। चूंकि पक्षकारान की मुख्य आपत्ति है, कि बंटवाड़ा मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत हुआ है, जिसके कारण राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति का मिलान नहीं हो रहा है। कानून की मंशा है कि राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति समानान्तर होनी चाहिए, ताकि एकरूपता बनी रहें। अपीलाधीन भूमि के संबंध में पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति के आधार पर अधिवक्ता रेस्पोडेंटगण संख्या 01 से 12 तक द्वारा राजीनामा पेश किया और पक्षकारान अपीलाधीन आदेश निरस्त करवाकर मौके पर कब्जा काश्त स्थिति अनुसार बंटवाड़े हेतु रजामंद है। ऐसी सूरत में अपीलाधीन आदेश क्रमांक राजस्व/94–95 दिनांक 26.08.2004 को बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट की अपील अन्दर मयाद सुमार स्वीकार कर न्यायहित में प्रकरण तहसीलदार पचपदरा को पुनः प्रेषण (रिमाण्ड) किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि पुनः सभी पक्षकारान की व्यक्तिशः उपस्थिति एवं सहमति के उपरान्त अपीलाधीन आदेश क्रमांक राजस्व/94–95 दिनांक 26.08.2004 के स्थान पर विभाजन नियमानुसार कार्यवाही कर नवीन आदेश व अमल दरामद करें।

9. निर्णय आज दिनांक 28.02.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार यादव)
जिला कलक्टर, बालोतरा
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बालोतरा